आदेश की कम सं0 और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पनी तिथि
29.12.17	विविध वाद संख्या 08/2005–06, L.R. 281/2005–06, 327/2009–10 वदरूदीन आलम बनाम् मो0 जैनुल ऑवदीन। **आदेश** यह अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वार प्राप्त हुआ हैं उक्त अभिलेख अन्तगर्त मौजा ठाकुरचक थाना नं0 189 खाता नं0 41 प्लाट नं0 245 रकवा 16.00 एकड़ भूमि की जमाबंदी मो0 गयासुद्दीन वगैरह पिता मो0 हुसैन के नाम अवैध करार करते हुए अंचल अधिकारी डुमरी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गिरिडीह द्वारा रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं। इस न्यायालय से पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर भिन्न–भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई। प्रयाप्त समय दिये जाने के बावजुद वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में कोई कागजात एवं दावा प्रस्तुत नही किया गया। इस कार्यालय के द्वारा अंचल अधिकारी डुमरी से प्रश्नगत भूमि से संबधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी डुमरी के पत्रांक 324 दिनांक 27.04.2017 द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित है कि बदरूद्दीन आलम वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम नही है, अपितु लाल स्याही से किसी के द्वारा वगैर सक्षमपदाधिकारी के हस्ताक्षर से पंजी II में "गयासुद्दीन वगैरह खाता नं0 41/61 प्लाट नं0 245 रकवा 16 एकड़ भूमि" रेखाकितं कर दी गई है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत रशीद सं0 का पंजी II के अंकित रशीद से मिलान करने पर सही नही पाया गया। वस्तुतः वादी द्वारा प्रस्तुत रशीद तथा इन्द्राज फर्जी प्रतीत होता है। अंचल अधिकारी डुमरी द्वारा प्रतिवेदित है कि यह मामला जमाबंदी कायम नही होकर फर्जी वाड़ा का मामला प्रतीत होता है। स्थल जॉच एवं ग्रमीणों से पूछताछ में पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर किसी का दखल कब्जा नही रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौजा ठाकुरचक के खाता सं0 41/61 प्लाट नं0 245 रकवा 16 एकड़ गैरमजरूवा खास किस्म भूमि टोगंरी की जमाबंदी फर्जी तरीके से अवैध रूप से कायम की गई है। अतः अभिलेख अवलोकन अंचल अधिकारी, डुमरी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के अनुशंसा के आलोक में मौजा ठाकुरचक थाना न0 189 खाता न0 41/61 प्लॉट न0 245 कुल रकवा 16.00 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म टोगंरी भूमि की मो0 गयासुदीन पिता मो0 हुसैन के नाम कायम संदिग्ध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिश्नर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांत के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है। समपुष्टि हेतू अभिलेख आयुक्त उतरी छोटानागपूर प्रमण्डल हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय। अपर समाहर्त्ता गिरिडीह उपायुक्त, गिरिडीह	